

10/10
h/...

9

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

23-04-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
 उपरिष्ठ दिनांक पर क्रमांक 02,06
 उपरिष्ठ अन्य अधिवक्ता एजरी।
 उक्त वाद नं० 6 (हः) माह की अंतर्धि
 पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद काल -
 वाधित हो गया है। उक्त वाद नं०
 अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।

4
 23/4/18